

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०४/१४७/२०१८/एफ०सी०/१०८९

दिनांक: 29/11/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – पिथौरागढ़ के अंतर्गत 220 के०वी० डबल सर्किट लाईन व जौलजीबी में धौनीगंगा से बरेली 400 के०बी० डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 58.449 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लि० को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/TRANS/35527/2018)

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 1042/FP/UK/TRANS/35527/2018 दिनांक 22-10-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 06.12.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-31.10.2019 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद – पिथौरागढ़ के अंतर्गत 220 के०वी० डबल सर्किट लाईन व जौलजीबी में धौनीगंगा से बरेली 400 के०बी० डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 58.449 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लि० को प्रत्यावर्तन हेतु विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर-वानिकी भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण**

(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 116.865 हे० (घिघरानी 12.456 हे० खसरा नं० 983,986,1654,1242,1646,1650 सलोनी 18.703 हे० खसरा नं. 236,297, 385, 1106, 1386, 1394, 1427, 1928, 2096, 5488, सॉवलीसेरा 10.667 हे० खसरा नं. 206,389,460,694,1318,1498 म. 1500, भेलिया 20.415 हे० खसरा नं. 95,184,449,450,685,686,1615,1616,1714,1838, डोकुना 11.665 हे० खसरा नं. 5,186,409,457,1060,1062,1359,1361,1534,2637,2728,2781,2794,2800, डोंगटी 21.645 हे० खसरा नं० 6170,7325,7450,7474,7556,7558,7691,8054,8349,8890,9209,7284,7323,

,7542,5784, चमतोली 21.304 हे0 खसरा नं. 251,890,1323,1395/1490, 1379/1492, 1384/1496) सविल सोयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाये।

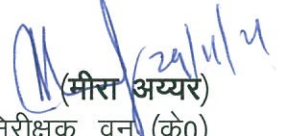
(ख) क्षतिपूरक वनीकरण के उद्देश्य से उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी है तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि "सन् 1893 के राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है तथा उक्त भूमि का अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। इस हेतु इस भूमि को पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है" अतः राज्य सरकार उक्त भूमि जो अब वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गयी है को अपनी कार्य योजना में शामिल करना सुनिश्चित करें।

4. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को यथासंभव न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की सं० प्रस्ताव के अनुसार 706 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
6. राज्य वन विभाग के परामर्श से प्रयोक्ता अभिकरण ट्रांसमिशन लाईन के RoW के नीचे बौनी प्रजातियों (अधिमानतः औषधीय पौधे) के सृजन एवं रखरखाव के लिए योजना तैयार करेगा तथा इसका निष्पादन वन विभाग द्वारा किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण अपनी लागत पर पक्षी डिप्लेक्टर लगाएगा, जिन्हे पक्षियों को आहत होने से बचाने के लिए ट्रांसमिशन लाईन के ऊपरी कंडक्टर पर उपयुक्त दूरी पर लगाया जाएगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वन क्षेत्रों से ट्रांसमिशन लाईनों को बिछाते वक्त मंत्रालय के पत्र संख्या—7—25/2012—एफ.सी. दिनांक 05/05/2014 एवं 19/11/2014 द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
10. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले—आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
11. वन भूमि एवं आस— पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
13. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
14. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
15. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
16. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
17. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान

रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

18. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

भवदीया,


(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।


(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

